भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2875

जिसका उत्तर 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

इंदिरा गांधी फीडर कैनाल की क्षमता

2875. श्री कुलदीप इंदौराः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण सिंचाई एवं पेयजल प्रयोजनों के लिए 18000 क्यूसेक जल की क्षमता के साथ किया गया था जबकि इसकी वर्तमान क्षमता 11000 क्यूसेक जल से अधिक नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में इसी उद्देश्य से 11000 क्यूसेक पानी की क्षमता वाली गंग नहर का निर्माण किया गया था जबकि इसकी वर्तमान क्षमता 9000 क्यूसेक जल से अधिक नहीं है जिसके कारण किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई ठोस कार्य योजना बनाने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों और आम जनता को पानी से संबंधित किन्हीं समस्याओं का सामना न करना पड़े और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क): राजस्थान फीडर (इंदिरा गांधी फीडर) पंजाब में हरिके हेडवर्क्स से निकलती है और इससे राजस्थान राज्य को पीने और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति होती है। इसका निर्माण 18,500 क्यूसेक की क्षमता के साथ किया गया है। समय के साथ इसकी वहन क्षमता कम हो गई है। केंद्रीय जल आयोग के सदस्य (डिजाइन और अनुसंधान) की अध्यक्षता में एक समिति ने राजस्थान फीडर की वर्तमान वहन क्षमता 15,180 क्यूसेक आंकी है। समिति ने आगे कहा कि राजस्थान राज्य को केवल मानसून अवधि में ही अधिकतम 18,500 क्यूसेक पानी की

आवश्यकता होती है, और वह भी कुछ दिनों के लिए, ताकि छोड़े गए पानी से अधिशेष जल को संग्रहित किया जा सके और पूरे वर्ष उसका उपयोग किया जा सके। इस प्रकार, राजस्थान राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, नहर की कम वहन क्षमता की भरपाई के लिए 15,180 क्यूसेक निर्वहन की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(ख): संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार गंग नहर (जिसे बीकानेर नहर के नाम से भी जाना जाता है) की रीलाइनिंग वर्ष 2001 से 2005 के बीच की गई है। इसके अलावा, नहर की वहन क्षमता 3,027 क्यूसेक सूचित की गई है, जो राजस्थान राज्य की हिस्सेदारी के हिसाब से पर्याप्त पानी उपलब्ध कराती है।

(ग): जल राज्य का विषय होने के कारण, संबंधित राज्य सरकार को कोई ठोस कार्ययोजना तैयार करनी होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों और आम जनता को जल संबंधी किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकार को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में जल संसाधन परियोजनाओं की योजना बनाने, उनका कार्यान्वयन, संचालन और प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है। भारत सरकार अपनी चल रही योजनाओं के तहत चिन्हित सिंचाई परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता तथा आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सितम्बर, 2018 में भारत सरकार ने राजस्थान फीडर (आरडी 179000 से 496000) की रीलाइनिंग को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 1,305.27 करोड़ रुपये है, जिसमें से 620.41 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने हैं। परियोजना के पूरा होने की संभावित तिथि जून, 2025 है। इस परियोजना के कार्यान्वयन से दक्षिण-पश्चिम पंजाब के मुक्तसर, फरीदकोट और फिरोजपुर जिलों में जलभराव की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी, तथा जलभराव से प्रभावित कृषि भूमि की पुन:प्राप्ति और भूमि उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिलेगी। रीलाइनिंग का लक्ष्य लगभग 560 क्यूसेक जल संरक्षण करना भी है, जिसका उपयोग राजस्थान में सिंचाई को स्थिर करने/सुधारने के लिए किया जाएगा।

******